प्रेस विज्ञप्ति
29/8/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु ने के.जी. भद्राध्या, अशोक कुमार, श्रीमती वी. विजयलक्ष्मी, श्रीमती राधा अग्रवाल उर्फ राधा उर्फ अंजना के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 25/08/2025 को के.जी. भद्राध्या की लगभग 1.79 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्की की गई संपत्तियाँ बेंगलुरु के नागरभावी में स्थित दो आरसीसी छत वाली इमारतों के रूप में हैं। इन व्यक्तियों पर बेंगलुरु में ऑडी और मर्सिडीज-बेंज के अधिकृत कार डीलरों द्वारा जारी किए गए कथित जाली चालान जमा करके वाहन ऋण प्राप्त करने की आड़ में बैंकों (केनरा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और सारस्वत सहकारी बैंक) के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है। इस प्रकार प्राप्त ऋण राशि को आरोपियों द्वारा खोले गए फर्जी बैंक खातों में जमा कर दिया गया और बाद में उनकी व्यावसायिक संस्थाओं के कई बैंक खातों में रूटिंग और लेयरिंग की प्रक्रिया के माध्यम से स्थानांतरित कर दिया गया। इस धोखाधड़ी योजना के माध्यम से, आरोपियों ने 4.84 करोड़ रुपये का कार ऋण प्राप्त किया।

अंततः इस धनराशि का उपयोग अंतरासनहल्ली गाँव, तुमकुर में 2 एकड़ और 25 गुंटा कृषि भूमि, जिसका मूल्य 43.06 लाख रुपये है, खरीदने के लिए किया गया। यह संपत्ति, श्रीमती वी. विजयलक्ष्मी (श्री के. जी. भद्राध्य की पत्नी) के नाम पर पंजीकृत है और अपराध की प्रत्यक्ष आय (पीओसी) है और इसे प्रवर्तन निदेशालय, बेंगलुरु द्वारा दिनांक 10/02/2016 के पीएओ संख्या 02/2016 के तहत पहले ही कुर्क किया जा चुका है। माननीय न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा पुष्टि के बाद संपत्ति पर कब्ज़ा कर लिया गया। इसके अलावा, धोखाधड़ी से लिए गए ऋणों को अभियुक्तों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए डायवर्ट किया गया, जिसमें मशीनरी की खरीद, उनकी व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा लिए गए पूर्व ऋणों का पुनर्भुगतान और बड़ी मात्रा में नकद निकासी शामिल है।

इस मामले में अब तक प्रवर्तन निदेशालय, बेंगलुरु द्वारा 2.20 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है।